न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मदनलाल पुत्र श्री बालुराम जाति जाट निवासी ग्राम खारीखुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर		1. ग्राम पंचायत भवाद तहसील बावड़ी जिला जोधपुर जरिये सरपंच जिला जोधपुर 2. अणदाराम पुत्र श्री शिवराम जाति–जाट, निवासी खारीखुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 15 जो ग्राम पंचायत भवाद द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 30.05.2025

प्रार्थी मदनलाल पुत्र श्री बालुराम जाति जाट निवासी ग्राम खारीखुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत अप्रार्थी ग्राम पंचायत भवाद तहसील बावड़ी जिला जोधपुर जरिये सरपंच व अन्य के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 पट्टा संख्या 15 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी का का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक कब्जासुदा भूखण्ड ग्राम खारी खुर्द, सेवको के बास में आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी सपरिवार निवास करता है जिसमें प्रार्थी ने बिजली का कनेक्शन अपने नाम से वर्ष 2017 से ले रखा है। उक्त भूखण्ड पर सरकार द्वारा शौचाल अनुदान भी प्रार्थी के नाम स्वीकृत होने के पश्चात शौचालय अनुदान राशि प्रार्थी ने ही प्राप्त की है। प्रार्थी ने अपने कब्जासुद भूखण्ड ग्राम पंचायत भवाद में पट्टा बनाने हेतु आवेदन करने पर प्रार्थी से शुल्क राशि रूपयें 1120/– वसूल कर रसीद संख्या 05 दिनांक 21.05.2017 प्रार्थी के हक में जारी की थी जो पट्टा आवेदन ग्राम पंचायत भवाद के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में ग्राम पंचायत भवाद द्वारा उक्त भूखण्ड का पटटा संख्या 15 दायर दिनांक 06.09.2021 जारी किया गया। उक्त पटटे को निरस्त करनें हेतु प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गयी हैः–

1. ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम विवादग्रस्त पटटा जारी करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा जब एक बार इसी भूखण्ड का पटटा प्रार्थी के नाम से जारी करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन स्वीकार कर आवेदन शुल्क जमा कर प्रार्थी के पक्ष में रसीद संख्या 5 दिनांक 21.05.2017 जारी कर दी तो दुबारा उसी भूखण्ड का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के नाम व हक में जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था, प्रार्थी के आवेदन में वर्णित भूखण्ड के मालिकाना अधिकार प्रार्थी के पास है तथा प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर रहवासीय मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी सपरिवार निवास करता है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

2. प्रार्थी के नाम जारी पटटें के अवलोकन सें यह स्पष्ट है कि यह पटटा उसी भूमि का है जिसका पटटा हेतु पहले स्वयं ग्राम पंचायत भवाद नें प्रार्थी के नाम व हक में जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त कर शुल्क राशि जमा की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम जो पटटा जारी किया गया है वह प्रार्थी के कब्जा व स्वामित्व का भूखण्ड है।
3. ग्राम पंचायत में अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम से पटटा जारी करनें में नियमों की पालना व नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बगैर किया गया है।
4. ग्राम पंचायत के नियम 266 के अनुसार पटटा जारी करना बताया है, किन्तु अप्रार्थीगण का कोई पुराना कब्जा वहां पर नहीं था न है जब कि प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है। इस कारण इस नियम के तहत पटटा जारी नहीं किया जा सकता ।
5. प्रार्थी के नाम पट्टा विलेख जारी करने हेतु मौके की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई, ना ही आपत्ति दर्ज करवाई गई, ना ही उक्त भूखण्ड का भौतिक सत्यापन किया गया अर्थात सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में ग्राम पंचायत कार्यालय में ही बैठकर कार्यवाही रजिस्टर में की गयी।
6. दिनांक 07.07.2022 को पट्टा की प्रति प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गई इससे पूर्व प्रार्थी को पट्टे की जानकारी नहीं थी इसलिए प्रार्थी की जानकारी अन्दर म्याद यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

अतः प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 पट्टा संख्या 15 जारी किया जिसे निरस्त किये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब एवं आपतियां निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थी मदनलाल ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह निगरानी उतरदाता को तंग व परेशान करने की लिये झुठे आधारों पर प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने निगरानी मे आलोच्य पटटा विलेख संख्या 15 के अंतर्गत आने वाले भूखण्ड पर उसका रहवासीय मकान होने, उसके नाम से बिजली कनेक्शन व शोचालय होने का कथन सर्वथा मिथ्या है जबकि प्रार्थी का मकान, शोचालय, विद्युत संबंध उसके पुराने घर मे आये हुए है जो विवादित भूखण्ड से अलग है तथा विद्युत सम्बन्ध प्रार्थी के नाम वाला उसके भाई रामू के घर में लगा है जिसका वर्णन दाण्डित प्रकरण प्रथम सूचना संख्या 30 दिनांक 28.02.2022 पुलिस थाना करवड़ के अनुसंधान मे पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने अपनी जांच रिपोर्ट मे मौका जांच में पाया है। प्रार्थी द्वारा उसके भूखण्ड के पटटे के लिये आवेदन शुल्क जरिये रसीद संख्या 5 दिनांक 21.05.2017 जमा करवाने का जो वर्णन किया है वह भूखण्ड विवादित पटटे मे वर्णित भूखण्ड से अलग है जिसको प्रार्थी ने गलत रूप से अप्रार्थी के पटटे के भूखण्ड से गलत जोड़ा है। अप्रार्थी संख्या 2 के पटटे के भूखण्ड से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है प्रार्थी जिस भूखण्ड को अपना होना बता रहा है वह भूखण्ड अलग है। ग्राम पंचायत भवाद ने अप्रार्थी के पुराने पीढियो के भूखण्ड का पटटा बाद जांच नियमानुसार जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के रसीद संख्या 05 दिनांक 21.05.2017 मे वर्णित राशि आलोच्य पटटे वाले भूखण्ड के लिये जमा नही की गयी है मौके पर उक्त भूखण्ड अलग है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व का भूखण्ड होने का कथन सर्वथा मिथ्या हैं जबकि प्रार्थी का भूखण्ड एवं आलोच्य पटटे वाला भूखण्ड दोनो मौके पर अलग अलग है, जो कि पुलिस जांच में भी अलग अलग आये है। ग्राम पंचायत ने नियमो की पालना करते हुए पटटा जारी किया है, जब प्रार्थी का भूखण्ड आलोच्य भूखण्ड से अलग है तब आलोच्य पटटा जारी करने से प्रार्थी के कोई हक अधिकार प्रभावित नही होते है इसलिये प्रार्थी को उक्त पटटे के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही हैं। आलोच्य पटटे में वर्णित भूखण्ड अप्रार्थी का पीढियो का पुश्तैनी होने व अप्रार्थी को नियमानुसार पटटा प्राप्त करने का अधिकार होने से उसके नाम से पटटा बाद जांच जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए पंचायत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

कार्यवाही में दर्ज करते हुए अप्रार्थी के नाम से आलोच्य पटटा जारी किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र मनगढंत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब एवं आपतियां प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई ने अपनी बहस में निगरानी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 पट्टा संख्या 15 जारी किया जिसे निरस्त किये जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 पट्टा संख्या 15 जारी किया गया पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थी की निगरानी खारिज करने व सरपंच ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 पट्टा संख्या 15 जारी किया गया को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खारी खुर्द, सेवको के बास में प्रार्थी अपने कब्जासुदा भूखण्ड पर रहवासीय मकान में सपरिवार निवास करता है जिसमें प्रार्थी ने बिजली का कनेक्शन अपने नाम से वर्ष 2017 से ले रखा है परन्तु न्यायालय के समक्ष अपने नाम के विद्युत कनेक्शन से संबंधित कोई भी विद्युत बिल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाकर अपने पिता व भाई बालुराम व रामूराम के नाम की विद्युत बिल की प्रति पेश की गयी है। उक्त भूखण्ड पर सरकार द्वारा दी गयी शौचालय अनुदान राशि प्रार्थी द्वारा प्राप्त करने का कथन किया गया किन्तु उक्त शौचालय अनुदान राशि किस भूखण्ड हेतु प्राप्त हुई इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जासुदा भूखण्ड का ग्राम पंचायत भवाद में पट्टा बनाने हेतु आवेदन करने पर शुल्क राशि रूपयें 1120/– वसूल कर रसीद संख्या 05 दिनांक 21.05.2017 प्रार्थी के हक में जारी करने व पट्टा आवेदन ग्राम पंचायत भवाद के समक्ष विचाराधीन होने से प्रार्थी द्वारा जो रसीद की प्रति प्रस्तुत की गयी के संबंध में अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी द्वारा प्रमाणित प्रतियां पेश कर बताया कि उक्त रसीद संख्या 05 ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2017 को किसी अन्य भूखण्ड के लिए पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिए उक्त राशि शुल्क के रूप में वसूल की गयी है न कि निगरानीधीन पट्टे में दर्शाये गये भूखण्ड के संबंध में राशि वसूल की गयी है।

इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब व बहस में बताया कि पुलिस थाना करवड़ के दाण्डित प्रकरण प्रथम सूचना संख्या 30 दिनांक 28.02.2022 के अनुसंधान मे पुलिस उपायुक्त दक्षिण की मौका जांच रिपोर्ट मे प्रार्थी द्वारा उल्लेख किया कि मेरे कब्जेसुदा मकान में ग्राम पंचायत से शौचालय अनुदान प्राप्त किया है जो कि मौका निरीक्षण करने पर पूर्व में रहे पुराने पैतृक मकान में शौचालय बने हुए पाये गये जो विवादित भूखण्ड से अलग है तथा प्रार्थी के नाम वाला विद्युत सम्बन्ध उसके भाई रामूराम के घर में लगा हुआ है। प्रार्थी द्वारा जिस भूखण्ड के पटटे के लिये आवेदन शुल्क जरिये रसीद संख्या 05 दिनांक 21.05.2017 जमा करवाने का जो वर्णन किया है वह भूखण्ड विवादित पट्टे मे वर्णित भूखण्ड से अलग है। ग्राम पंचायत भवाद ने अप्रार्थी के भूखण्ड का उक्त पट्टा बाद जांच नियमानुसार जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के रसीद संख्या 05

कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 21.05.2017 मे वर्णित राशि आलोच्य पटटे वाले भूखण्ड के लिये जमा नही की गयी है, प्रार्थी का भूखण्ड एवं आलोच्य पट्‌टे वाला भूखण्ड दोनो मौके पर अलग अलग है, जो कि पुलिस जांच में भी अलग अलग बताये गये है। जब प्रार्थी का भूखण्ड आलोच्य भूखण्ड से अलग है तब आलोच्य पट्‌टा जारी करने से प्रार्थी के कोई हक अधिकार प्रभावित नही हो रहे है इससे यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आपत्ति नोटिस जारी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी के नाम से उनकी पैतृक हिस्सेदारी की विरासत के भूखण्ड पर कब्जा अनुसार दिनांक 18.10.2021 को आलोच्य पट्‌टा जारी किया गया है एवं उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया पंचायत कार्यवाही मे दर्ज है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अप्रार्थी के पटटे के विरूद्ध सही तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत नहीं की गयी है इसलिए यह निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 18.10.2021 को जारी पट्‌टा संख्या 15 पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत भवाद, पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा मिसल संख्या 14/2021–2022 दायर दिनांक 06.09.2021 में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 18.10.2021 को जारी पट्‌टा संख्या 15 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Scanned with CamScanner